न्यायालय अनुमण्डल दण्डाधिकारी, बगोदर–सरिया (गिरिडीह)।

वाद संख्या – 56...../2025 धारा 163 भ0ना0सु0सं0

राजेश मंडल बनाम कोल्ही मंडल वगैरह

आदेश की क्रम सं0 और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
19/4/25	अभिलेख उपस्थापित। ~~अंचल अधिकारी, बिरनी~~ थाना प्रभारी सरिया के पत्रांक – **705, दिनांक– 19.04.2025** के द्वारा समर्पित किया गया जाँच प्रतिवेदन के अवलोकन के बाद मैं संतुष्ट हूँ कि भूमि विवाद को लेकर उभय पक्षों में शांति भंग होने की आशंका है एवं टकराव के लिए तत्पर हैं। इस बात से मैं संतुष्ट हूँ कि इस मामले में टकराव को दूर करने तथा इलाके में शांति बनाये रखने के लिए निरोधात्मक कार्यवाई आवश्यक हैं। इन तथ्यों के आलोक में उभय पक्षों के विरूद्ध धारा 163 भा0 ना0 सु0 संहिता के अंतर्गत कार्यवाई प्रारंभ किया जाता है तथा उभय पक्षों को 60 दिनों के लिए विवादग्रस्त भूमि पर या उसके नजदीक जाने अथवा किसी भी तरह का कार्य करने के लिए प्रतिबंधित किया जाता है तथा रोका जाता है। साथ हीं उभय पक्षों से दिनांक 02/5/25 ..... को कारण पृच्छा की मांग की जाती है कि क्यों नहीं एक या दोनों पक्षों के विरूद्ध निरोधात्मक आदेश को सम्पूष्ट किया जाय। अभिलेख दिनांक 02/5/25 ..... को उपस्थापित करें। लेखापित एवं संशोधित 19/4/25 अनुमण्डल दण्डाधिकारी बगोदर–सरिया (गिरिडीह) 19/4/25 अनुमण्डल दण्डाधिकारी, बगोदर–सरिया(गिरिडीह)	

ी क्र० सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
07/05/25	उभय पक्ष उपस्थित। द्वितीय पक्ष के द्वारा w/s तथा राजस्व कागजात, फोटोग्राफ दाखिल किया गया। स्वत्व (Title) का मामला प्रतीत होता है। अगली तिथि - 16/05/25 07/5/25	
16-5-25	उभय पक्ष उपस्थित। प्रथम पक्ष की ओर से प्रतिउत्तर दाखिल किया गया। आदेश हेतु 16/05/25	
	आदेश	
16/5/25	वाद सं. 56/25 (भा.ना.सु.सं. की धारा 163 के तहत) थाना प्रभारी सरिया के प्रतिवेदन (ज्ञापांक 705/2025 दिनांक 19/4/25) के अवलोकन से संतुष्ट होकर लोक परिशांति भंग होने की आशंका पर अनुमंडल पदाधिकारी, बगोदर-सरिया के स्थानीय अधिकारिता संबंधित क्षेत्राधिकार अंतर्गत अवस्थित विवादास्पद भूमि जिसका	

ी क्र० सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3

विवरण तफसील से नोटिस में दर्ज है पर दिनांक 19-04-25 की प्रभावी तिथि से भा. ना. सु. सं. की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा प्रवृत किया तथा उभय पक्ष को उक्त भूमि पर जाने अथवा कोई कार्य किए जाने से प्रतिबंधित किया। नोटिस निर्गत का उभय पक्ष से काल पृच्छा भी की गई।

उभय पक्ष अध्योहस्ताक्षरी के न्यायालय में उपस्थित हुए तथा अपना-अपना पक्ष रखा। प्रथम पक्ष का कहना है कि विवादग्रस्त भूमि उनकी खतियानी रैयती भूमि है तथा उक्त भूमि पर द्वितीय पक्ष जबरदस्ती चहारदीवारी निर्माण कर रहे हैं अतः विवाद उत्पन्न हुआ है। प्रथम पक्ष अपने दावे के समर्थन में खतियान की छायाप्रति तथा लगान रसीद की छायाप्रति संलग्न करते हैं।

द्वितीय पक्ष का कहना है कि उक्त विवादग्रस्त भूमि उनकी खरीदगी भूमि है। उक्त जमीन को उनके पूर्वजों ने प्रथम पक्ष के पूर्वजों से 18-09-1948 को खरीदा है तथा अंचल

...की क्र० सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
	कार्यालय में दाखिल-खारिज करवा कर दखलकार चले आते हैं। तथा उक्त भूमि पर उनका मकान भी बना हुआ है। द्वितीय पक्ष अपने दावे के समर्थन में एक निबंधित विक्रय विलेख की छायाप्रति, एक लगान रसीद की छायाप्रति संलग्न करते हैं। उभय पक्ष के द्वारा प्रस्तुत कागजात पृच्छा का अध्ययन करने, उभय पक्ष के द्वारा प्रस्तुत राजस्व दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन करने तथा उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण के दलीलों को सुनने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ कि द्वितीय पक्ष ने प्रथम पक्ष के पूर्वजों से लगभग 77 वर्ष पूर्व निबंधित विक्रय पत्र के माध्यम से उक्त भूमि का क्रय किया तथा दाखिल खारिज करवा कर उक्त भूमि के उपभोग में हैं। प्रथम पक्ष के द्वारा इतने वर्षों के पश्चात् बँटवारा को आधार बनाकर द्वितीय पक्ष के साथ विवाद किया जा रहा है। प्रथम पक्ष द्वितीय पक्ष के साथ हुए जमीन के विक्रय को अवैध भी नहीं मानते	

ा की क्र० सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3

है। प्रथम पक्ष को यदि बँटवारा या स्वत्व से संबंधित कोई विवाद है तो सक्षम न्यायालय में वाद लाकर उसका निपटारा कर सकते हैं। विचिवत अन्तरण के उपरान्त कायम हुए द्वितीय पक्ष की जमाबन्दी को चुनौती विचिवत रुप से दिए जाने अथवा निबंधित विक्रय पत्र को सक्षम न्यायालय में विचिवत चुनौती दिए जाने प्रथम पक्ष के द्वारा द्वितीय पक्ष के साथ विवाद किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। अतः प्रस्तुत वाद में नियमन को प्रथम पक्ष के विरुद्ध Absolute तथा द्वितीय पक्ष के हित में विचत किया जाता है।

प्रथम पक्ष चाहें तो सक्षम न्यायालय में वाद का निपटारा हेतु Appropriate याचिका दायर कर सकते हैं। उक्त आदेश के साथ ही वाद की कार्यवाई समाप्त घोषित की जाती है।

हस्ताक्षरित एवं संशोधित

16/5/25
SDM
Bagodar-Saring

16/5/25
SDM
Bagodar-Saring.

Digitally signed by SANTOSH GUPTA
Date: 2025.05.27 10:39:44 +05:30
Location: 192.168.1.6